

6/9/24

वकील उमय पत्र उपस्थित / उमय पत्र की बहस सुनी गई पत्रावली वाले आदेश आपना दिनांक 11/9/24 को पेश हो

३५

जिला कलक्टर  
भरतपुर

11/9/24

वकील उमय पत्र उपस्थित / पत्रावली का अवलोकन किया गया / वकील उमय पत्र की बहस पर मनन किया / पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि यह मुत्तकिली उार्चना पत्र श्री शजीव शर्मा उपखण्डाधिकारी बघाना के विरुद्ध पेश किया गया था / चूंकि वर्तमान में श्री शजीव शर्मा का स्थानान्तरण उपखण्डाधिकारी बघाना के पद से उपखण्डाधिकारी भरतपुर के पद पर हो गया है इसी स्थिति में मुत्तकिली उार्चना पत्र स्वतः ही उभावलीन हो जाता है

ध्यान: मुत्तकिली उार्चना पत्र उभावलीन होने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली फेल्लु शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल देपतर हो

३

जिला कलक्टर  
भरतपुर